न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 50/2022
प्रविष्टि दिनांक 12.10.2022

लछमा पत्नि स्व. रामजीलाल जाति मीणा निवासी भडंगपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0

—अपीलांट

बनाम

नायब तहसीलदार निवाई जिला—टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार निवाई दिनांक 07.09.2022 मिसल नम्बर 356/2022

उपस्थिति : (1) श्री बैणी प्रसाद गुर्जर,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक** 26.12.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.2022 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 339/1 मे से रकबा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम भडंगपुरा तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 12/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट विधवा महिला है,उसके द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है और ना ही अपीलांट का किसी भी चरागाह भूमि से कोई संबंध अथवा सरोकार है। अपीलांट का मकान इन्द्रा आवास योजना के तहत बना हुआ है जो अपीलांट द्वारा राजकीय सहायता प्राप्त कर बनाया है। अपीलांट का मकान आबादी भूमि मे स्थित है और अपीलांट के साथ—साथ अन्य व्यक्तियो के भी मकान बने हुये है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की है। खसरा नम्बर 339/1 चरागाह भूमि ना होकर आबादी भूमि है,जिसके संबंध मे कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अपने पत्र कमांक 2920 दिंनाक 29.06.1989 से आदेश जारी किया है,जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को होने के

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

उपरान्त भी उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही मंगवाई और ना ही मौके का निरीक्षण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सक्षम साक्ष्य प्रदर्शित नही करवायी गई है। पटवारी हल्का ने किस तारीख को रिपोर्ट तैयार की का भी रिपोर्ट मे उल्लेख नही है। पटवारी हल्का ने किसी भी स्वंतत्र गवाह के सामने रिपोर्ट तैयार नही की है।अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 339/1 मे से रकबा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम भडंगपुरा तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार निवाई द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट्स न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से स्वंय की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 339/1 मे से रकबा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम भडंगपुरा तहसील निवाई पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्धारा पत्रावली सं0 554/2022 निर्णय दिनांक 22.03.2022 से भूमि से बेदखल किया गया है। पटवारी हल्का चतुर्भुजपुरा ने अपने बयान मे उल्लेख किया है कि अपीलांट को दिनांक 11.05.2022 को उक्त खसरा नम्बर से बेदखल किया है। विवादित आराजी आज भी चरागाह भूमि ही है। अतिक्रमी बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 07.09.2022 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)